प्रेस नोट–149 / 2026
दिनांक 16.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की झाँसी इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 16.03.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की झाँसी इकाई** द्वारा श्री जगन्नाथ साहू निवासी बौलारी, बिजरौठा तहसील तालबेहट जनपद ललितपुर से उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80(1) की रिपोर्ट लगाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री जगदीश यादव के नेतृत्व में तहसील परिसर तालबेहट से **राजस्व लेखपाल दीपेश कुमार सिंह (तहसील तालबेहट)** पुत्र रामकरन सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट रूरा सिरसा थाना रेढर जनपद जालौन **2-सत्यम साहू (प्राइवेट व्यक्ति)** पुत्र पुरूषोत्तम साहू निवासी वार्ड नं0-4 सर्फयाना तालबेहट जनपद ललितपुर को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–150/2026
दिनांक 16.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद झाँसी/थाना कोतवाली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **06 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 16.03.2026 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगरिया कुआं रोड हाइवे के किनारे से पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–दीपक उर्फ संजय 2–नदीम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, 06 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 11/12.03.2026 की रात्रि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद जेवरात आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक उर्फ संजय निवासी गणेश पुरा थाना बिजौली ग्वालियर मध्यप्रदेश।

2–नदीम निवासी हरदौल थाना व जनपद दतिया मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–06 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद रायबरेली/थाना हरचन्दपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **06 हजार 494 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 कार आदि बरामद**

दिनांक 15.03.2026 को थाना हरचन्दपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर प्यारेपुर रेलवे क्रासिंग से कनहट जाने वाले नहर मार्ग से 02 अभियुक्तों 1–बिन्द कुमार 2–देवी शंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 06 हजार 494 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.03.2026 को थाना बछरावां क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बछरावां पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त देवी शंकर के विरूद्ध जनपद प्रतापगढ़, रायबरेली के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 07 अभियोग, अभियुक्त बिन्द कुमार के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हरचन्दपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–बिन्द कुमार निवासी ग्राम हरनी थाना हरचन्दपुर जनपद रायबरेली।

2–देवी शंकर निवासी सराय खाण्डे राय टेउंगा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 10 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–06 हजार 494 रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

4–01 कार आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **अवैध शस्त्र तस्करी कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **07 अवैध पिस्टल 32 बोर मय 02 जीवित कारतूस**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय 04 जीवित कारतूस**
- **तस्करी में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बरामद**

दिनांक 15/16.03.2026 की रात्रि थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पलडी नहर पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र की तस्करी कर रहे 04 अभियुक्तों 1–आकिल 2–फरहान 3–मोहम्मद तालिब 4–शाहरूख को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 07 अवैध पिस्टल 32 बोर मय 02 जीवित कारतूस, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय 04 जीवित कारतूस, तस्करी में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकिल निवासी हाजीपुर थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।

2–फरहान निवासी घोसीपुर थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।

3–मोहम्मद तालिब निवासी नरहाडा थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।

4–शाहरूख निवासी पुरवाफैय्याज अली थाना देहली गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–07 अवैध पिस्टल 32 बोर मय 02 जीवित कारतूस।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय 04 जीवित कारतूस।

3–तस्करी में प्रयुक्त 01 स्विफ्ट कार।

जनपद रायबरेली/थाना बछरावां

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 15.03.2026 को थाना बछरावां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हरदोई शारदा नहर महराजगंज मोड़ के पास से 08 अभियुक्तों 1–अनिल उर्फ अनीश 2–रिंकू उर्फ राहुल उर्फ हेडन 3–जितेन्द्र उर्फ जीतू 4–प्रदीप उर्फ पिन्टू 5–अरविन्द 6–राकेश कुमार उर्फ छोटू 7–राजू उर्फ योगेश 8–नौसाद उर्फ फईम उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बछरावां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल उर्फ अनीश निवासी ग्राम जटापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

2–रिंकू उर्फ राहुल उर्फ हेडन निवासी ग्राम जटापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3–जितेन्द्र उर्फ जीतू निवासी बडियान कस्बा व थाना जैथरा जनपद एटा।

4–प्रदीप उर्फ पिन्टू निवासी पखईपुर कुसमौर थाना सराय लखंसी जनपद मऊ।

5–अरविन्द निवासी ग्राम दुधरा थाना घनघटा जनपद संतकबीरनगर।

6–राकेश कुमार उर्फ छोटू निवासी भलुआ थाना झाझर जनपद जमुई बिहार।

7–राजू उर्फ योगेश निवासी ळ–11 संजय नगर रानीपुर थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

8–नौसाद उर्फ फईम उर्फ राजू निवासी चकन्दरा थाना व जनपद सतपुड़ा बिहार।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 05 चार पहिया वाहन आदि।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना कौड़िया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौड़िया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामरंग को सश्रम आजीवन कारावास व 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————